

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 अप्रैल 2023 — चैत्र 23, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अप्रैल 2023

सूचना

क्रमांक एफ 11-10 / 2023 / सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान उप-खण्ड	नवीन उप-खण्ड	वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील	नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	उदयपुर	तहसील — अम्बिकापुर, दरिमा, लखनपुर, उदयपुर एवं लुण्डा (धौरपुर).	तहसील — लखनपुर एवं उदयपुर
प्रस्तावित परिवर्तन का कारण :— प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण					

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 13th April 2023

NOTICE

No. F 11- 10/2023/Seven-4. - In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Sub-Division specified in column (3), to create a new Sub-Division specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Sub- Division	New Sub- Division	Tahsil included in Present Sub-Division	Tahsil included in new Sub-Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Surguja	Ambikapur	Udaipur	Tahsil - Ambikapur, Darima, Lakhanpur, Udaipur and Lundra (Dhourpur)	Tahsil- Lakhanpur and Udaipur
Reasons for proposed change – Administrative decentralization					

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURAG PANDEY, Special Secretary.